न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 117/2023

1 अशोक कुमार पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी खुशालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 दीपक आयु 12 साल पुत्र प्रभुदयाल नवीरा हीरालाल जाति जाट निवासी ग्राम खुशालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू नाबालिक जरिये माता मीना देवी स्त्री हीरालाल जाति जाट निवासी ग्राम खुशालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

2 पायल आयु 9 साल पुत्र नवीरा हीरालाल जाति जाट निवासी ग्राम खुशालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू नाबालिक जरिये माता मीना देवी स्त्री हीरालाल जाति जाट निवासी ग्राम खुशालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

3 प्रभुदयाल पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी ग्राम खुशालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

4 उप पंजीयक बुहाना जिला झुन्झुनू।

5 दुलीचन्द पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासीं ग्राम खुशालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ. धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 19.09.2023
बअदालत उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू
मुकदमा उनवानी दीपक बनाम प्रभुदयाल वगै.
मु.नं. 99/2023 प्रार्थना पत्र अ. निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 2.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 99/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 2.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 9.15 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम खुशालपुरा तहसील बुहाना में स्थित है उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 08.06.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जिस प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 7 दुलीचन्द ने अपने हिस्से की जमीन में विद्युत कनेक्शन लेने की अनुमति चाही जिस पर विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ने दिनांक 19.09.2023 को आलौच्य आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 19.09.2023 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली के होने के कारण खारिज होने योग्य है। विवादित भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की जमीन है जिसमें वादी दीपक व पायल का कोई हिस्सा नही। दीपक के पिता प्रभुदयाल ने अपने 1/16 हिस्से की जमीन अपीलान्ट को विक्रय कर दी। अपीलान्ट उक्त जमीन में 1/8 हिस्से का खातेदार है। कानून से विभाजन से पूर्व किसी व्यक्ति को विद्युत कनेक्शन लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि अगर विभाजन से पहले ऐसा आदेश दिया जाता है तो वह विभाजन का अंतिम निर्णय जैसा निर्णय होता है जो कानून की मंशा के विपरित है। विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय में विद्युत कनेक्शन जारी करने का आधार दर्ज नहीं किया। इस कारण आलौच्य निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2023 खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में दिनांक 08.06.2023 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। दिनांक 19.09.2023 को प्रार्थीगण की सहमति से विद्युत कनेक्शन की अनुमति प्रदान की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट अप्रार्थी है। अपीलांट द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील है। विचारण न्यायालय में धारा 212 का अंतिम निस्तारण किया जाना शेष है। अतः अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में दिनांक 08.06.2023 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारीं की गई थी। दिनांक 19.09.2023 को प्रार्थीगण की सहमति से विद्युत कनेक्शन की अनुमति प्रदान की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट अप्रार्थी है। अपीलांट द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील है। विचारण न्यायालय में धारा 212 का अंतिम निस्तारण किया जाना शेष है। इस स्तर पर विचाराधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना हम न्यायोचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोज्वक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झनूं)